न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 02 / 2023	2023 / 286	30.10.2023	02.04.2025

1– अख्तर पुत्र कमरू,
2– खुर्शीद पुत्र कमरू,
3– अकबर पुत्र कमरू,
4– जुबेर पुत्र कमरू,
5– मुसम्मात मरियम बेवा कमरू जाति मेव निवासीयान ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–मौहम्मदीन (मृतक)
1 / 1– फारूख,
1 / 2– मुलजिस,
1 / 3– आरिफ पुत्रान मौहम्मदीन,
1 / 4– रविना पुत्री स्व0 मौहम्मदीन, पत्नी साजिद खान निवासी हाल कालियाबाद तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा।
1 / 5– वरिसा पुत्री स्व0 मौहम्मदीन, पत्नी अजीम खान निवासी बसीरवास तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा।
2– आसमौहम्मद (मृतक)
2 / 1– मुसम्मात सगरी बेवा आसमौहम्मद,
2 / 2– साहिद पुत्र आसमौहम्मद,
2 / 3– साहिदा पुत्री आसमौहम्मद,
2 / 4– वकीला पुत्री आसमौहम्मद,
2 / 5– शकीला पुत्री आसमौहम्मद,
2 / 6– अल्ली पुत्र आसमौहम्मद नाबालिग बसरपरस्ती मुसम्मात सगरी बेवा आसमौहम्मद निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
2 / 7– मुसम्तात फरजाना पुत्री आसमौहम्मद नाबालिग बसरपरस्ती मुसम्मात सगरी बेवा आसमौहम्मद निवासी ग्राम आधांका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

3– जानमौहम्मद (मृतक)
3 / 1 मुस्मात शकिना उर्फ शक्कन पत्नी बेवा जानमौहम्मद,
3 / 2 असमीना पुत्री स्व. जानमौहम्मद,
3 / 3 महरूना पुत्री स्व. जानमौहम्मद,
3 / 4 असलम पुत्र स्व. जानमौहम्मद,
3 / 5 साबिद पुत्र स्व. जानमौहम्मद,
3 / 6 इंसाफ पुत्र स्व. जानमौहम्मद,
3 / 7 जानिस्ता पुत्री स्व. जानमौहम्मद, नाबालिग,
3 / 8 सलमान पुत्र स्व. जानमौहम्मद, नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त माता मुस्मात शकिना उर्फ शक्कन पत्नी बेवा जानमौहम्मद जाति मेव निवासीयान ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
4– मुसम्मात रहमती बेवा होशियार जाति मेव निवासी ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)(मृतक)
5– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनाक 08.08.2013 जिसके द्वारा हाल आराजी खसरा न0 87/0.29, 97/0.38, 167/0.35, 168/0.27, 179/0.21, 180/0.20, 181/0.24, 213/0.25, 214/0.25, कुल किता 9 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा का पटटा दिनाक 08.08.2013 को रेस्पोडेन्टान संख्या 1–4 के पक्ष में खिलाफ कानून पोशीदा तौर से अपीलान्टान को सूचना दिये बगैर जारी किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–

01. श्री दिनेश यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री हरिओम शर्मा –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2013 जिसके द्वारा हाल आराजी खसरा न0 87/0.29, 97/0.38, 167/0.35, 168/0.27, 179/0.21, 180/0.20, 181/0.24, 213/0.25, 214/0.25 कुल किता 9 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा का पटटा संख्या 2620 दिनाक 08.08.2013 को रेस्पोडेन्टान संख्या 1–4 मौहम्मदीन, आसमौहम्मद, जानमौहम्मद व रहमती के पक्ष में खिलाफ कानून पोशीदा तौर से अपीलान्टान को सूचना दिये बगैर जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि साबिक आराजी खसरा न0 177 रकबा 1.15, 178/8/1 रकबा 0.18, 8/2 रकबा 0.18, 9/2 रकबा 2.00, 9/3 रकबा 2.00, 9/4 रकबा 3.09, 37 रकबा 1.1, 30/2 रकबा 1.00, 112 मिन रकबा 2.14, 56 मिन रकबा 3.17, 184/41 रकबा 0.8, 185/41 रकबा 1.13, 44 रकबा 0.15, 186/46 रकबा 0.6, 187/47 रकबा 0.14, 188/47 रकबा 2.3, 48 रकबा 0.16, 183/49 रकबा 0.19, 50 रकबा 0.8, 51 रकबा 3.1, 53 रकबा 1.8, 54 रकबा 0.17, 55 रकबा 0.11, 58 रकबा 1.2, 60 रकबा 2.1, 62 रकबा 8.5, 28/2 रकबा 1.5, 36 रकबा 2.6, 57 रकबा 9.5, 66 रकबा 3.7, 138 मिन रकबा 1.17, 26 रकबा 0.19, 27 रकबा 5.2, 12 मिन रकबा 1.13, 24 रकबा 6.9, 25 रकबा 2.11, 19 रकबा 3.8, 116 रकबा 1.1, 118 रकबा 0.6, 127 रकबा 0.18, 134 रकबा 6.6, 135 मिन रकबा 4.00, 1 मिन रकबा 4.00, 76 रकबा 1.13, 77 रकबा 2.3, 78 रकबा 5.12, 138 मिन रकबा 1.16, 79 रकबा 3.3, व 89 रकबा 4.17 कुल 49 रकबा 119 बीधा 6 बिस्वा वाके ग्राम आधांका तहसील तिजारा का पटटा संख्या 20 सम्वत 2015 में होशियार, समेसिंह, चाहत, उमराव, रूजदार, भीखा, छुटटन, पल्टू वगै0 जाति मेव साकिन देह 8 धर जाति मेव निवासी ग्राम आंधाका तहसील तिजारा के पक्ष में जारी किसा गया था, और मौके पर कुल 8 हिस्सेदारो को पटटेदारो को बहिस्से बराबर बराबर वास्तविक कब्जा दे दिया गया। उपरोक्त 8 पटटेदारान मौके पर अपने अपने कब्जा हिस्सा पर कब्जा अनुसार आज तक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त कुल 8 पटटेदारान में एक पटटेदार रूजदार पुत्र जैनखा मेंव ग्राम आंधाका तहसील तिजारा था, रूजदार की विरासत उसके पुत्र कमरू को मिली और कमरू की फौतदगी में बाद उनके वारिसान अपीलान्टान को विरासत में प्राप्त हुई है। आलोच्य पटटा संख्या 2620 दिनाक 8.8.2013 में अंकित आराजी में अपीलान्टान का 1/2 भाग है, जो रूजदार पटटेदार का था। होशियार पुत्र फूलखॉ का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 है। उपरोक्त पटटेदारान रूजदार पुत्र जैनखा 1/2 भाग व होशियार पुत्र फूलखां 1/2 भाग के पटटेदार व काबिज निम्न आराजी के थे, और रूजदार व होशियार की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान निम्नानुसार काबिज है। हाल आराजी खसरा न0 87 रकबा 0.29 साबिक आराजी खसरा न0 36 मिन

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

रकबा 1.1, व 37 मिन रकबा 0.2, हाल आराजी खसरा न0 97 रकबा 0.38 साबिक खसरा न0 30 मिन रकबा 1.10, हाल आराजी खसरा न0 167 रकबा 0.35 साबिक खसरा न0 41 मिन रकबा 1.6, हाल आराजी खसरा न0 168 रकबा 0.27 साबिक खसरा न0 47 मिन रकबा 1.1, हाल आराजी खसरा न0 179 रकबा 0.21 साबिक खसरा न0 188/47 मिन रकबा 0.17, हाल आराजी खसरा न0 180 रकबा 0.20 साबिक खसरा न0 188/47 मिन रकबा 0.16, हाल आराजी खसरा न0 181 रकबा 0.24 साबिक खसरा न0 188/47 रकबा 0.19, हाल आराजी खसरा न0 213 रकबा 0.25 साबिक खसरा न0 60 मिन रकबा 1.0, हाल आराजी खसरा न0 214 रकबा 0.25 साबिक खसरा न0 60 मिन रकबा 1.0, कुल किता 9 रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम आंधाका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा का 1/2 भाग के काबिज पटटेदारान अपीलान्टान संख्या 1 लगायत 5 और 1/2 भाग के काबिज पटटेदारान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 है, किन्तु रेस्पोडेटान संख्या 1 लगायत 4 ने राजस्व विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण से मिलकर खिलाफ कब्जा काश्त व खिलाफ मौका उपरोक्त आराजी किता 9 रकबा 2.44 है0 का पटटा संख्या 2620 दिनाक 08.08.2013 को प्राप्त कर लिया है, जो निम्न कारणो से काबिल निरस्त है। उक्त पटटे में अंकित आराजी उपरोक्त में 1/2 भाग के पटटेदारान अपीलान्टान संख्या 1 लगायत 5 है, इस लिये पटटा संख्या 2660 दिनाक 08.08.2013 काबिल निरस्त है, जो अकेले रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 के नाम जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 के हक में पटटा संख्या 2620 दिनाक 08.08.2013 को जारी करने से पूर्व मिन अपीलान्टान 1/2 भाग के काबिजान को कोई सूचना नही दी गयी और पोशीदा तौर से चुपचाप सरकारी कीमत खजाना में जमा करायी है। सम्वत 2015 में कुल आराजी रकबा 119 बीघा 6 बिस्वा का पटटा संख्या 20 कुल 8 पटटेदारान के पक्ष में जारी हुआ था। तहत अदालत को कुल आराजी का कुल पटटेदारान के हक में राजस्व रिकार्ड में अमल करना चाहिऐ था, और पटटेदारान की बिना सहमति के किसी भी व्यक्ति को पटटा नही देना चाहिऐ था। बल्कि समस्त पटटेदारान की सहमति से मौका कब्जा काश्त का व नियमित रूप से जॉच करने/निरीक्षण करने के बाद ही पटटा देना चाहिऐ था। तहत अदालत ने आलोच्य पटटा जारी करने से पूर्व मौके की कब्जा काश्त की जॉच नही की जबकि मौके पर विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलान्टान काबिज है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.08.2013 की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को दिनाक 06.12.2013 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गये, इससे पूर्व मिन अपीलान्टान को विवादित पटटा दिनाक 08.08.2013 का कोई ज्ञान नही था। तहत अदालत द्वारा दिनाक 08.08.2013 को पटटा जारी करने से पहलें मिन अपीलान्टान को कोई नोटिस किसी प्रकार की सूचना नही दी गयी, इस लिए मिन अपीलान्टान तहत अदालत के समक्ष पक्षकार नही थे, इस लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन है, कि मिन अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.08.2013 है, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान मिन अपीलान्टान को दिनाक 06.12.2013 को उस समय हुआ जब पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने के लिए गये इससे पूर्व मिन अपीलान्टान को इस पटटे के बाबत पारित निर्णय की कोई जानकारी नही थी। अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, व जानकारी के अभाव में व्यतित हुआ है। न्यायहित में दिनाक 08.08.2013 से दिनाक 06.12.2013 तक का समय कन्डोन किया जाना न्यायसंगत है। अत अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.08.2013 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्टान मोहम्मदीन, आसमौहम्मद, जानमौहम्मद पुत्रान होशियार व रहमति बेवा होशियार जाति मेंव निवासी आंधाका तहसील तिजारा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2010 को पेश कर आराजी खसरा नम्बरान 88 रकबा 0.29, 97 रकबा 0.38, 167 रकबा 0.35, 168 रकबा 0.27, 179 रकबा 0.21, 180 रकबा 0.20, 181 रकबा 0.24, 213 रकबा 0.25, 214 रकबा 0.25, 87

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

रकबा 0.29 किता 10 रकबा 2.73 वाके ग्राम आंधाका तहसील तिजारा की आराजी को निष्कान्त कृषि भूमि (गैर खातेदारी) की सनद पटटा जारी करवाने हेतु पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का/भू0 अभिलेख निरीक्षक से जॉच करायी गयी। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के मौके पर प्रार्थीयान का 11 बीधा भूमि पर होना अंकित किया गया तथा आराजी खसरा न0 88 रकबा 0.29 पर मौके पर अख्तर, कुर्शीद, अकबर, जुबेंर पुत्रान कमरू कौम मेव का कब्जा होना अंकित किया गया है, जिस पर उज्रदारी नोटिस जारी किया गया जारी नोटिस की तामील करायी जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनाक 06.10.2009 की पालना में किमत जमा कोष करायी जाकर रेस्पोडेन्टान के नाम आराजी खसरा न0 97 रकबा 0.38, 167 रकबा 0.35, 168 रकबा 0.27, 179 रकबा 0.21, 180 रकबा 0.20, 181 रकबा 0.24, 213 रकबा 0.25, 214 रकबा 0.25, 87 रकबा 0.29 किता 9 रकबा 2.44 भूमि का स्थाई पटटा संख्या 2620 दिनाक 08.08.2013 को जारी किया गया है। तहत अदालत द्वारा उक्त क्रंम में नियमानुसार जॉच कर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है। प्रस्तुत अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है उनका कोई आधार नही है, न ही कोई वैधानिक साक्ष्य पेश किये गये है। अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 115/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष प्रकरण में वर्णित आराजीयात के बाबत दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया गया था जो दिनाक 15.11.2011 को ही अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, यदि अपीलान्ट का उक्त आराजी के बाबत हक निहित था तो सम्बधित वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट द्वारा बिना हक व अधिकार के श्रीमान के समक्ष अपील पेश की गयी है। जो चलने योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 जानकारी की दिनाक 06.12.2013 मिथ्या मनघडन्त अपील को मियाद में ग्रहण कराने के निहित उदेश्य से अंकित की गयी है, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का विवरण पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किया गया है। अपील अपीलान्ट दफा 5 कानून मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपीलान्टान को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही जानकारी है, अपीलान्ट ने अपील देरी से पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण दिन प्रतिदिन का विवरण विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के अनुसार अंकित नही किया गया है। अपीलान्टान द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेन्टान को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गयी है। अपीलान्टान का उक्त आराजी से कोई वास्ता नही है न ही उसका कब्जा है। अपीलान्टान पीडित पक्षकार नही है, न ही उसका कोई हित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकुलाय की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 08.08.2013 के विरूद्व दिनाक 12.05.2014 को पेश की गयी है, जो करीब 9 माह के विलम्ब के पश्चात पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि ग्राम आधांका तहसील तिजारा का पटटा संख्या 20 सम्वत 2015 में होशियार, समेसिंह, चाहत, उमराव, रूजदार, भीखा, छुटटन, पल्टू वगै0 जाति मेव साकिन देह 8 धर जाति मेव निवासी ग्राम आंधाका तहसील तिजारा के पक्ष में जारी किसा गया था, और मौके पर कुल 8 हिस्सेदारो को पटटेदारो को वहिस्से बराबर बराबर वास्तविक कब्जा दे दिया गया। उपरोक्त 8 पटटेदारान मौके पर अपने अपने कब्जा हिस्सा पर कब्जा अनुसार आज तक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त कुल 8 पटटेदारान में एक पटटेदार रूजदार पुत्र जैनखा मेंव ग्राम आंधाका तहसील तिजारा था। रूजदार की विरासत उसके पुत्र कमरू को मिली और कमरू की फौतदगी में बाद उनके

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

वारिसान अपीलान्टान को विरासत में प्राप्त हुई है। आलोच्य पटटा संख्या 2620 दिनाक 8.8.2013 में अंकित आराजी में अपीलान्टान का 1/2 भाग है, जो रूजदार पटटेदार का था। होशियार पुत्र फूलखॉ का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 4 है। उपरोक्त पटटेदारान रूजदार पुत्र जैनखा 1/2 भाग व होशियार पुत्र फूलखां 1/2 भाग के पटटेदार व काबिज आराजी थे और रूजदार व होशियार की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान काबिज है। समस्त पटटेदारान की बिना सहमति के किसी भी व्यक्ति को पट्टा नही देना चाहिऐ। सम्वत 2015 में जारी पट्टे में वर्णित पट्टेदार को सुनकर व साक्ष्य सबूत को ध्यान में रखते हुए उक्त अपीलाधीन विवादित पट्टा पटटेदारान की सहमति से मौका कब्जा काश्त का व नियमित रूप से जॉच करने/निरीक्षण करने के वाद पटटा देना चाहिऐ था। तहत अदालत ने आलोच्य पटटा जारी करने से पूर्व मौके की कब्जा काश्त की जॉच नहीं की जबकि मौके पर विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलान्टान काबिज है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया की अधीनस्थ न्यायालय में निष्क्रांत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए जो प्रा0 पत्र दिनांक 14.07.2010 को पेश किया गया है, प्रस्तुत प्रा0 पत्र आवेदन पर केवल मात्र मोहम्मदीन के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि आवेदन में मोहम्मदीन, आसमौहम्मद वगैराह का नाम ही अंकित है हस्ताक्षर अंकित नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित पट्टा समस्त प्रार्थीयान के नाम दिनांक 08.08.2013 को जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आवेदन के पृष्ठ पर अंकित रिपोर्ट में अंकन किया है कि "पूर्व में उज्रदारी नोटिस दिनांक वर्ष 2002 में जारी किया गया था, जो काफी पुराना है। अतः नोटिस पुनः जारी किया जाना उचित होगा" जिसके पश्चात् नोटिस उज्रदारी पुनः दिनांक 27.08.2010 को नोटिस जारी किया गया, किन्तु उज्रदारी नोटिस पर कार्यालय की कोई चस्पानगी रिपोर्ट भी अंकित नहीं है। उक्त उज्रदारी नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट अंकित ना होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 03 वर्ष पश्चात प्रार्थीयान/रेस्पोडेटांन को उक्त विवादित पट्टा जारी कर दिया गया। विधिक प्रावधानानुसार जारी नोटिस की विधिवत तामील करायी जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में पारित निर्णय विधिसम्वत प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र दिनाक 14.07.2010 की पूर्ति कराये बिना एवं उज्रदारी नोटिस का नियमानुसार प्रकाशन कराये बिना उक्त अपीलाधीन विवादित आदेश पट्टा 2620 दिनांक 08.08.2013 जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। अपील अपीलांटान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 2620 आदेश दिनांक 08.08.2013 वाके ग्राम आंधाका तहसील तिजारा बहक मोहम्मदीन, आसमौहम्मद वगैराह साकिन आंधाका निरस्त किया जाता है, तथा अपील अपीलांटान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट सम्वत 2015 में जारी अस्थाई पट्टा संख्या 20 दिनांक 24.09.1982 के अनुसार बहिस्से की एवं अपीलांटान व रैस्पोडेन्टान के हिस्से की कब्जेकाश्त आराजी की अधिकतम 2 माह में भलीभांति जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)